

MAINS MATRIX

सामग्री सूची

- देखभाल का श्रम: ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन संघर्ष
- बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि: एनसीआरबी रिपोर्ट 2023
- अधिक महिलाएँ श्रमबल से जुड़ीं, लेकिन क्या वे वास्तव में रोजगार में हैं?
- ज़िले को एक लोकतांत्रिक साझा स्थल के रूप में पुनः प्राप्त करें
- महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएँ दर्ज
- पर्यावरण निगरानी

**देखभाल का श्रम: ग्रामीण स्वास्थ्य
कार्यकर्ताओं का वेतन संघर्ष**

संदर्भ

- महाराष्ट्र में अंशकालीन स्थिरी परिचारिकाएँ (ASPs) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- दशकों की सेवा के बावजूद, उनका मासिक वेतन 2016 से ₹3,000 पर स्थिर है, जो महँगाई और न्यूनतम वेतन सुरक्षा से बहुत कम है।

प्रमुख मुद्दे

- कम और स्थिर वेतन
 - 2016 से ₹3,000/माह; 2025 तक केवल ₹6,000 देने का वादा, जो अभी भी बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मियों से कम है।

2. सामाजिक सुरक्षा और लाभों की कमी

- नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, सुरक्षा उपकरण या यात्रा भत्ता नहीं।
- प्रोत्साहन राशि भी देर से मिलती है, जो लगभग निर्वाह मात्र है।

3. लैंगिक और वर्ग-आधारित उपेक्षा

- अधिकांश गरीब, ग्रामीण महिलाएँ हैं → जिन्हें अनदेखा करना आसान।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रम का ऐसा पदानुक्रम दर्शाता है जहाँ कुशल कार्य को केवल इसलिए कम आंका जाता है क्योंकि यह महिलाएँ करती हैं।

4. कार्य की अस्थिरता

- इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) के तहत ASHA कार्यकर्ताओं की तरह “स्वयंसेवक” माना गया, इसलिए औपचारिक कर्मचारी का दर्जा नहीं।
- व्यावसायिक जोखिम झेलती हैं (सॉप काटना, टीकाकरण इयूटी के दौरान सड़क दुर्घटनाएँ) → बिना बीमा/मुआवजे के।

व्यापक परिप्रेक्ष्य एवं तुलनाएँ

- ASHA कार्यकर्ता (संपूर्ण भारत में)
 - ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की पहली कड़ी, फिर भी स्वयंसेवक के रूप में मानी जाती हैं।
 - मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और मान्यता की माँगें ASPs जैसी ही हैं।
- संरचनात्मक विरोधाभास
 - सरकार महिलाओं की स्वास्थ्य क्षेत्र में भागीदारी को सशक्तिकरण बताती है, लेकिन व्यवहार में → शोषण (कम वेतन, अधिकारों का अभाव, कार्य में गरिमा की कमी)।

महत्व

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की निर्भरता

- ASPs और ASHAs ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं (टीकाकरण, रोग निगरानी, मातृ-शिशु स्वास्थ्य)।

2. अवमूल्यित श्रम

- यदि इन महिला कार्यकर्ताओं को मान्यता और उचित भुगतान नहीं मिला, तो स्वास्थ्य प्रणाली स्वयं को कमजोर करेगी।

आगे का रास्ता

- न्यूनतम वेतन और महँगाई-आधारित वेतन संशोधन सुनिश्चित करना।
- सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और यात्रा भत्ता प्रदान करना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को “स्वयंसेवक” नहीं बल्कि औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता देना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में समान श्रम संबंध स्थापित करना ताकि टिकाऊ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा संभव हो सके।

How to use in Mains

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर ॥
(सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य)

यह सबसे प्रत्यक्ष और सशक्त जुड़ाव है।

1. सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे (स्वास्थ्य):

- **कैसे उपयोग करें:** यह केस भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का आलोचनात्मक मूल्यांकन है।
- **क्रियान्वयन अंतर (Implementation Gap):** सरकार की रणनीति ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में ASJs और ASHAs पर आधारित है। लेकिन इन्हें "स्वयंसेवक" वर्गीकृत कर अत्यल्प पारिश्रमिक देना प्रणाली में एक संरचनात्मक दोष है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ नीति पहुँच (outreach) में सफल है परंतु कार्यबल के शोषण पर आधारित है।
- **लोक स्वास्थ्य पर खतरा:** लेख का निष्कर्ष कि यह प्रणाली "स्वयं को नष्ट करने के लिए बाध्य है" (bound to sabotage itself) अत्यंत प्रभावी तर्क है। हतोत्साहित और आर्थिक रूप से कमजोर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से सतत एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिससे पूरा सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचा कमजोर होता है।

2. कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी

योजनाएँ:

- **कैसे उपयोग करें:** ASJs और ASHAs लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण एक "कमजोर वर्ग" का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **लैंगिक शोषण:** यह स्पष्ट रूप से "लैंगिक और वर्ग-आधारित उपेक्षा" का मामला है। चूंकि यह कार्य मुख्यतः गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे व्यवस्थित रूप से कमतर आँका गया है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण को न्यायपूर्ण श्रम प्रथाओं से जोड़ता है।
- **सामाजिक न्याय:** न्यूनतम वेतन, नौकरी की सुरक्षा, और पेंशन जैसी सामाजिक सुविधाओं से वंचित करना आर्थिक न्याय से इनकार है।

3. सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:

- **कैसे उपयोग करें:** यह स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र में श्रम नीति की असफलता को उजागर करती है।
- **"स्वयंसेवक"** की श्रेणी का उपयोग कर इन्हें औपचारिक रोजगार के लाभों से वंचित करना एक प्रमुख शासन-संबंधी (governance) समस्या है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर I (समाज) और जीएस पेपर IV (नीति-नैतिकता)

GS Paper I: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन

- कैसे उपयोग करें:** यह "अदृश्य और अप्रतिदित देखभाल अर्थव्यवस्था" (care economy) का स्पष्ट उदाहरण है जहाँ महिलाओं का श्रम आवश्यक है, लेकिन न तो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और न ही उचित रूप से पारिश्रमिक दिया जाता है। यह महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के बीच अंतर को उजागर करता है।

GS Paper IV: नैतिकता और मानव-इंटरफ़ेस

- कैसे उपयोग करें:** यह केस स्पष्ट नैतिक दबंद्व (ethical dilemma) और संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को प्रस्तुत करता है।
- नैतिक दबंद्व:** राज्य का दायित्व है कि वह स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए, लेकिन इसे स्तंष्ठा बनाने के लिए कमज़ोर कार्यबल का शोषण करता है।
- संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality):** यह परिस्थिति सामाजिक न्याय और श्रम

की गरिमा जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन है।

- सुशासन में सत्यनिष्ठा (Probity in Governance):** एक सरकार जो महिलाओं के सशक्तिकरण का उपदेश देती है लेकिन व्यवहार में शोषण करती है, नैतिक शासन (ethical governance) में विफल है।

बच्चों के खिलाफ अपराध: एनसीआरबी रिपोर्ट 2023

- कुल मामले:** 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 मामले दर्ज किए गए।
- साल-दर-साल वृद्धि:** यह 2022 की तुलना में 9.2% की वृद्धि को दर्शाता है।
- अपराध दर:** प्रति 1,00,000 बच्चों पर अपराध दर 39.9 हो गई, जो 2022 में 36.6 थी।

प्रमुख अपराध श्रेणियाँ:

- अपहरण और अपहरण:** 79,884 मामले (कुल का 45%)
- पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले:** 67,694 मामले (कुल का 38.2%)

सर्वाधिक मामले वाले राज्य:

1. मध्य प्रदेश (22,393)
2. महाराष्ट्र (22,390)
3. उत्तर प्रदेश (18,852)

अधिक महिलाएँ श्रमबल से जुड़ीं, लेकिन क्या वे वास्तव में रोज़गार में हैं?

प्रसंग

महिला श्रमबल भागीदारी दर (FLFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई।

इसे लैंगिक समानता और गतिशील श्रम बाजार की ओर प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन गहराई से देखने पर कई विरोधाभास सामने आते हैं।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ (PLFS और NSSO आंकड़ों पर आधारित)

भागीदारी में वृद्धि

- FLFPR: 2011-12 (30.3%) → 2017-18 (23.3%, गिरावट) → 2023-24 (41.7%)।
- वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी है, शहरी महिलाओं की नहीं।

क्षेत्रीय संरचना (चार्ट 2)

- अधिकांश महिलाएँ कृषि में कार्यरत।

- द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर → संरचनात्मक परिवर्तन सीमित।

कार्य की प्रकृति (चार्ट 3)

- पारिवारिक उद्यमों में “सहयोगी” के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी: 2017-18 (91%) → 2023-24 (96.9%)।
- नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों (4.5% → 4.6%) और स्वरोज़गार में महिलाओं की भागीदारी घट गई।
- FLFPR में वृद्धि का बड़ा हिस्सा बिना वेतन या आजीविका स्तर के काम से है, न कि औपचारिक/वेतनभोगी रोज़गार से।

वेतन और आय (चार्ट 4)

- वास्तविक वेतन श्रेणियों में स्थिर/गिरावट, खासकर ग्रामीण दिहाड़ी और स्वरोज़गार वाली महिलाओं के लिए।
- नियमित वेतनभोगी शहरी महिलाओं को कुछ सुधार दिखा, पर अधिकांश महिलाएँ कम, असंगत आय से जूझ रही हैं।

संरचनात्मक मुद्दे

- अवैतनिक और अदृश्य श्रम:** घरेलू भूमिकाएँ → “सहयोगी” श्रेणी में बदलकर आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता नहीं।
- रोज़गार की गुणवत्ता:** FLFPR बढ़ने के बावजूद गरिमामय काम के अवसर घट रहे हैं, असुरक्षा बढ़ रही है।
- लैंगिक श्रम विभाजन:** कौशल, गतिशीलता और सामाजिक बाधाओं की वजह से महिलाएँ कम वेतन और असुरक्षित भूमिकाओं में धकेली जा रही हैं।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन:** ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी; शहरी महिलाओं की भागीदारी स्थिर या घटती।

निहितार्थ

- सांख्यिकीय भाँति:** FLFPR में वृद्धि = वास्तविक सशक्तिकरण नहीं; यह अक्सर मजबूरी का रोज़गार और पारिवारिक श्रम को दर्शाता है।
- नीतिगत कर्मी:** श्रम नीतियाँ और कौशल योजनाएँ महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार देने में विफल।

- आर्थिक लागत:** कम उत्पादकता, दबे वेतन और महिला श्रम के अवमूल्यन से समग्र विकास कमजोर।
- सामाजिक प्रभाव:** आर्थिक निर्भरता बढ़करार, जिससे लैंगिक असमानताएँ और असुरक्षा मजबूत होती हैं।

आगे की राह

- औपचारिक मान्यता:** “सहयोगी” महिलाओं को कार्यकर्ता मानकर अधिकार प्रदान किए जाएँ।
- कौशल विकास और पुनःप्रशिक्षण:** कृषि से आगे बढ़कर महिलाओं के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण।
- सामाजिक सुरक्षा जाल:** पेंशन, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण रोज़गार विविधीकरण:** द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में गैर-कृषि रोज़गार को बढ़ावा।
- अवैतनिक देखभाल कार्य का समाधान:** बाल देखभाल और सामुदायिक सेवाओं में निवेश ताकि महिलाएँ औपचारिक रोज़गार में प्रवेश कर सकें।

How to use in upsc mains

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर । (भारतीय समाज)

यह सबसे सीधा संबंध रखता है, जो महिलाओं की भूमिका और सामाजिक संरचना से संबंधित है।

1. महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन:

- **कैसे उपयोग करें:** यह डेटा एक विरोधाभास को उजागर करता है जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए केंद्रीय है।
- **सशक्तिकरण बनाम संकट-प्रेरित भागीदारी:** महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में 41.7% की वृद्धि जरूरी नहीं कि सशक्तिकरण का संकेत हो। तथ्य यह है कि यह वृद्धि ज्यादातर महिलाओं के "पारिवारिक उद्यमों में बिना भुगतान के सहायक" के रूप में काम करने के कारण है, यह दर्शाता है कि आर्थिक मजबूरी, अवसर नहीं, इस बदलाव को चला रही है। यह "संकट रोजगार" है, मुक्ति नहीं।
- **श्रम का लैंगिक विभाजन:** यह डेटा पारंपरिक लैंगिक श्रम विभाजन को मजबूत करता है। महिलाओं को कम वेतन वाली,

असुरक्षित और अक्सर अदृश्य भूमिकाओं (जैसे बिना भुगतान के पारिवारिक खेत का काम) तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि पुरुष नियमित, वेतनभोगी रोजगार पर हावी हैं। यह आर्थिक निर्भरता को बनाए रखता है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

यह समावेशी विकास और मानव संसाधन विकास के मूल में है।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संचयन, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** यह अर्थव्यवस्था में एक ढांचागत समस्या का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **रोजगार की "गुणवत्ता" का मुद्दा:** UPSC अक्सर अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार में बढ़ने की चुनौती के बारे में पूछता है। यह डेटा इसका सही प्रमाण है। FLFPR में वृद्धि ढांचागत परिवर्तन (कृषि से उद्योग/सेवाओं में बढ़त) नहीं ला रही है। इसके

बजाय, महिलाएं कम उत्पादकता वाली कृषि और अनौपचारिक काम में फ़ंसती जा रही हैं।

- **आर्थिक लागत:** महिला प्रतिभा और श्रम का कम उपयोग राष्ट्रीय आय को दबाता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है। महिलाओं के लिए स्थिर/गिरती वास्तविक मजदूरी का मतलब है कम समग्र मांग और गरीबी उन्मूलन में धीमी गति।
- 2. **समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे:**

- **कैसे उपयोग करें:** डेटा दर्शाता है कि विकास महिलाओं के लिए समावेशी नहीं रहा है।
- **आर्थिक विकास के लाभ कार्यबल में शामिल होने वाली अधिकांश महिलाओं के लिए उचित काम (निष्पक्ष आय, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षा) में नहीं बदले हैं।**

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन)

समाधान सरकारी नीति पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।

1. **विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप:**
 - **कैसे उपयोग करें:** "आगे का रास्ता" खंड एक ठोस नीतिगत एजेंडा प्रदान करता है।
 - आप मौजूदा योजनाओं की जड़ कारणों को संबोधित करने में विफल रहने के लिए आलोचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कौशल विकास मिशन महिलाओं को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक नहीं ले जा पाए हैं।
 - सिफारिशें—"सहायकों" की औपचारिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा, चाइल्डकेयर बुनियादी ढांचा—विशिष्ट, कार्रवाई योग्य नीति सुझाव हैं जिनका उपयोग महिला सशक्तिकरण या रोजगार पर किसी भी उत्तर में किया जा सकता है।

ज़िले को एक लोकतांत्रिक साझा मंच (Democratic Commons) के रूप में पुनः प्राप्त करना

प्रसंग

भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है।

चुनौती यह है कि युवाओं को आर्थिक और लोकतांत्रिक मुख्यधारा में जोड़ा जाए। तकनीकी, पारिस्थितिकीय और जनसांख्यिकीय बदलावों के बीच सार्वजनिक जीवन बिखरा हुआ महसूस हो रहा है। वर्तमान शासन अत्यधिक केंद्रीकृत, अभिजात्य-प्रधान और महानगर-केंद्रित है, जिससे ज़िलों की क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा।

प्रमुख मुद्दे

शहरी-केंद्रित विकास

- 85% भारतीय अपने जन्म-ज़िले में रहते हैं, लेकिन शहर (केवल 3% भूमि) देश के 60% से अधिक GDP उत्पन्न करते हैं।
- कॉर्पोरेट लाभ बढ़ रहे हैं, लेकिन वेतन स्थिर हैं, जिससे घरेलू मांग कमज़ोर हो रही है।

शासन का केंद्रीकरण

- शीर्ष-से-नीचे प्रशासनिक दक्षता पर अत्यधिक निर्भरता: तकनीकी योजनाएँ, डिजिटलीकरण, सेवा वितरण।
- निर्वाचित प्रतिनिधि अक्सर कल्याणकारी योजनाओं के संयोजक मात्र रह जाते हैं, न कि लोकतांत्रिक विकास के निर्माता।

युवाओं के अवसरों की कमी

- राष्ट्रीय योजनाएँ युवाओं को सहभागी बनाने के बजाय केवल लाभार्थी बना देती हैं।
- समावेशन के बादे स्थानीय स्तर पर ठोस अवसरों में परिवर्तित नहीं होते।

लोकतांत्रिक थकान

- नागरिकों और प्रतिनिधियों के बीच बढ़ती खाई।
- चुनावी राजनीति धीरे-धीरे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय केवल कल्याण वितरण तक सीमित।

प्रस्तावित रूपरेखा

ज़िला-प्रथम नागरिक रूपांतरण

- ज़िलों को लोकतांत्रिक साझा मंच के रूप में पुनः प्राप्त करना – राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहभागिता के केंद्र।
- शक्ति और जवाबदेही का पुनर्वितरण ज़िला स्तर पर।
- सामूहिक जवाबदेही, नीतिगत प्रभाव और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को प्रोत्साहन।

प्रमुख उपाय

- विकेंद्रीकरण:** नौकरशाही संरचना से आगे स्थानीय अभिनेताओं को सशक्त बनाना।
- युवा सहभागिता:** लाभार्थी से सक्रिय नागरिक और आर्थिक प्रतिभागी की ओर बदलाव।
- नीति-प्रभाव अंतराल को पाठना:** योजनाओं को वास्तविक ज़मीनी जीवन से जोड़ना।
- समावेशी भागीदारी:** शीर्ष 10% अभिजात्य वर्ग को भी स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल करना।

महत्व

आर्थिक नवीनीकरण

- उत्पादन, उपभोग और नवाचार में व्यापक सहभागिता।
- निर्यात/अभिजात्य उपभोग पर निर्भरता में कमी।

लोकतांत्रिक गहराई

- औपचारिक भागीदारी से आगे बढ़कर वास्तविक समावेश।
- राज्य, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को जोड़ने वाला सुधारवादी आधार तैयार करना।

राष्ट्रीय लचीलापन

- सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र केवल शहरी अभिजात्य केंद्रों से बाहर ज़िलास्तर के युवाओं की भी सेवा करे।
- वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत के शासन को मजबूत करना।

आगे की राह

- ज़िला-प्रथम लोकतंत्र मॉडल अपनाना।
- ज़िला स्तर पर नागरिक ढांचे को सशक्त बनाना।
- ज़िलों को साझा जिम्मेदारी और साझा शासन के केंद्र के रूप में पुनः परिकल्पित करना।
- स्थानीय नेतृत्व, राजनीतिक जवाबदेही और आर्थिक प्रगति को संरेखित करना।

How to use

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर || (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय)

यह सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध है। लेख का मूल तर्क विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक गहनता के बारे में है।

1. विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन:

- कैसे उपयोग करें:** लेख 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का एक समालोचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है।

- वर्तमान स्थिति की आलोचना: हालांकि इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का गठन किया, लेकिन लेख तर्क देता है कि वास्तविक शक्ति और संसाधन अभी भी काफी हद तक केंद्रित हैं। जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतांत्रिक विकास के "आकार देने वाले" के बजाय मात्र "कल्याण के सह-संयोजक" बनकर रह गए हैं।
- "जिला-प्रथम" समाधान: "जिलों को लोकतांत्रिक सामान्य संसाधन के रूप में पुनः स्थापित" करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर 3 F's - फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज़ के वास्तविक अंतरण की मांग है। यह एक मानक उत्तर बिंदु है, लेकिन लेख एक ताज़ा, शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करता है।
- 2. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं:**
- कैसे उपयोग करें: एक केंद्रीकृत संघ और एक विकेंद्रित संघीय
- संरचना के बीच की बहस भारतीय संविधान की एक क्लासिक विशेषता है।
- लेख का तर्क शीर्ष-नीचे (टॉप-डाउन) योजनाओं की दक्षता और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित जमीनी स्तर पर भागीदारी के लोकतांत्रिक आदर्श के बीच के तनाव पर प्रकाश डालता है।
- 3. लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका:**
- कैसे उपयोग करें: "शीर्ष-नीचे प्रशासनिक दक्षता पर अत्यधिक निर्भरता" और "तकनीकी योजनाओं" की आलोचना सीधे तौर पर जिला प्रशासन (जैसे, जिला कलेक्टर) बनाम निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका से संबंधित है।
 - यह पुनर्संरचना की मांग करता है, जहां प्रशासन स्थानीय लोकतांत्रिक निकायों को सुविधा प्रदान करे और सशक्त बनाए, न कि विकास का प्राथमिक चालक बने।
- प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)**

लेख विकेंद्रीकरण के लिए एक मजबूत आर्थिक तर्क प्रस्तुत करता है।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संचयन, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** लेख केंद्रीकृत, शहरी-केंद्रित विकास को आर्थिक समस्याओं से जोड़ता है।
- **असंतुलित विकास:** यह आँकड़ा कि "शहर (3% भूमि) सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं" जबकि "85% भारतीय अपने जन्म के जिलों में रहते हैं", क्षेत्रीय असमानता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। इससे पलायन, शहरों पर दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों का अविकसित रह जाना होता है।
- **मांग की समस्या:** यह तर्क देता है कि स्थिर मजदूरी और कुलीन उपभोग पर ध्यान घरेलू मांग को कम करता है। जिलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से धन का प्रसार होगा और एक अधिक मजबूत घरेलू बाजार बनेगा।

○ **संभावित प्रश्न:** "समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए, भारत को एक महानगरीय-केंद्रित मॉडल से एक जिला-नेटून्ट वाले विकास मॉडल की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।" चर्चा करें।

2. समावेशी विकास:

- **कैसे उपयोग करें:** "युवा अवसर घाटा" समावेशी विकास के लिए एक सीधी चुनौती है।
- लेख तर्क देता है कि राष्ट्रीय योजनाएं युवाओं के साथ सक्रिय "भागीदारों" के बजाय निष्क्रिय "लाभार्थियों" के रूप में व्यवहार करती हैं। एक जिला-प्रथम दृष्टिकोण "मूर्त स्थानीय अवसर" पैदा करेगा, जिससे विकास अधिक समावेशी बनेगा।

महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएँ दर्ज

एनसीआरबी रिपोर्ट: किसान आत्महत्याएं, 2023

- **कुल आत्महत्याएं:** 2023 में 10,786 किसानों और कृषि मजदूरों

- ने आत्महत्या की (कुल आत्महत्याओं का 6.3%)।
- वर्गीकरण:
 - किसान: 4,690 मौतें
 - कृषि मजदूर: 6,096 मौतें
 - लिंग: अधिकांश पुरुष; महिलाओं का हिस्सा कम।
 - राज्यवार आंकड़े:
 - महाराष्ट्र (38.5%)
 - कर्नाटक (22.5%)
 - आंध्र प्रदेश (8.6%)
 - मध्य प्रदेश (7.2%)
 - तमिलनाडु (5.9%)
 - संकटग्रस्त क्षेत्र: विदर्भ और मराठवाड़ा (कपास और सोयाबीन बेल्ट)।
 - किसान संगठनों का दृष्टिकोण: सरकारी नीतियों, कपास पर आयात शुल्क, डब्ल्यूटीओ/मुक्त व्यापार समझौतों को जिम्मेदार ठहराया।
 - संकट की व्याख्या: इसे "किसानों का सांछियकीय कब्रिस्तान" बताया गया।
 - मूल कारण: कृषि संकट, कर्ज, फसल विफलता, एमएसपी में कमी, जलवायु जोखिम।

HOW TO USE

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि)

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे:
 - **उपयोग कैसे करें:** यह डेटा वर्तमान कृषि नीतियों की सीमाओं की एक शक्तिशाली आलोचना प्रदान करता है।
- **MSP की आलोचना:** विदर्भ (कपास) और मराठवाड़ा जैसे नकद फसल क्षेत्रों में आत्महत्याओं का केंद्रीकरण MSP प्रणाली की विफलता को उजागर करता है, जो विशेष रूप से गैर-आहार फसलों के लिए विश्वसनीय सुरक्षा जाल प्रदान नहीं करती। किसान वैशिक कीमतों और व्यापार नीतियों (WTO, आयात शुल्क) के अस्थिर प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसा कि किसान संगठनों ने बताया है।
- **कर्ज और ऋण:** "कर्ज" का मूल कारण संस्थागत ऋण की विफलता है, जिससे किसान उच्च ब्याज दरों वाले अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर होते हैं, जिससे एक अजेय चक्र बन जाता है।
2. **फसल पैटर्न और विभिन्न प्रकार की सिंचाई:**

- उपयोग कैसे करें: महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्षेत्रीय केंद्रीकरण संयोग नहीं है।
- जल तनाव और फसल चयन: मराठवाडा जैसे क्षेत्र लगातार सूखा प्रभावित हैं। ऐसे वर्षा-निर्भर क्षेत्रों में कपास और सोयाबीन जैसी जल-गहन नकट फसलों की खेती किसानों को मौसमी असफलताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे बार-बार फसल हानि और परिणामस्वरूप संकट उत्पन्न होता है।
- 3. आपदा और आपदा प्रबंधन:
 - उपयोग कैसे करें: जलवायु जोखिम और फसल विफलता से उत्पन्न कृषि संकट एक धीमी गति से आने वाली आपदा है।
 - आत्महत्याएँ इस आपदा का सबसे चरम परिणाम हैं। इसे केवल आर्थिक मुद्दा न मानकर, एक आपदा प्रबंधन चुनौती के रूप में देखना चाहिए, जिसके लिए सक्रिय जोखिम शमन की आवश्यकता है (जैसे, फसल बीमा, सूखा-प्रतिरोधी बीज, सिंचाई)।

मजबूत प्रासंगिकता: GS पेपर I (भारतीय समाज)

यह मुद्दा भारतीय समाज की गहरी समस्याओं को दर्शाता है।

1. भारतीय समाज की विशेषताएँ और वैश्वीकरण का प्रभाव:
 - उपयोग कैसे करें: आत्महत्याएँ आर्थिक नीतियों के कठोर सामाजिक प्रभाव को उजागर करती हैं।
 - वैश्वीकरण का प्रभाव: किसान संगठनों द्वारा "WTO/मुक्त व्यापार समझौते" को दोषी ठहराना दर्शाता है कि वैश्विक बाजार बल स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्थाओं को कैसे नष्ट कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य झटकों के प्रति उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं।
 - कृषि सामाजिक संरचना: यह संकट पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है, पहले से ही हाशिए पर मौजूद छोटे और सीमांत किसानों, तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों (जो अधिकांश आत्महत्या पीड़ित हैं) को और अधिक गरीबी और निराशा में धकेलता है।

प्रासंगिकता: GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर IV (नैतिकता)

GS पेपर II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

- उपयोग कैसे करें: लगातार उच्च संख्या, साल दर साल, कई सरकारी योजनाओं के बावजूद,

नीति कार्यान्वयन में व्यापक अंतराल और कृषि संकट के मूल कारणों को संबोधित करने में विफलता को दर्शाती है।

GS पेपर IV: नैतिकता और मानव संपर्क

- उपयोग कैसे करें: यह सिस्टम की गंभीर नैतिक विफलता है।

- गरिमा और सामाजिक न्याय:** यह घटना राज्य के कर्तव्य पर प्रश्न उठाती है कि वह अपने खाद्य उत्पादकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करें। यह संवैधानिक लक्ष्यों (सामाजिक न्याय) और वास्तविक जमीन स्थिति के बीच अंतर की स्पष्ट याद दिलाती है।
- शासन में ईमानदारी:** यह शासन की अखंडता को चुनौती देती है, यह सवाल उठाती है कि क्या नीतियाँ वास्तव में सबसे कमज़ोर लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं।

पर्यावरण निगरानी

पर्यावरण निगरानी में मलजल जैसे पर्यावरणीय नमूनों के माध्यम से बीमारी पैदा करने वाले रोगजनकों (बैक्टीरिया और वायरस) को ट्रैक करना शामिल है। अपशिष्ट जल निगरानी, विशेष रूप से, संभावित बीमारी के प्रकोपों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करती है।

यह कैसे काम करता है

- नमूने मलजल उपचार संयंत्रों, अस्पतालों के अपशिष्ट और रेलवे स्टेशनों और हवाई जहाजों के शैचालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों से एकत्र किए जाते हैं।
- संक्रमित व्यक्ति अपने मल या मूत्र में रोगजनकों को छोड़ते हैं, जिससे अपशिष्ट जल में पता लगाना संभव हो पाता है।
- यह विधि परजीवी कीड़ों (जैसे गोलकृमि, हुकवर्म) से फैलने वाली बीमारियों की निगरानी भी अपशिष्ट जल और मिट्टी के नमूनों के माध्यम से करती है।
- कठोर प्रोटोकॉल नमूना संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण का मार्गदर्शन करते हैं, जो संभव बनाते हैं:
 - समय के साथ रोगजनक भार की तुलना।
 - पूर्ण-जीनोम अनुक्रमण के via रोगजनक प्रकारों की पहचान।

पर्यावरण निगरानी का महत्व

- पारंपरिक नैदानिक मामला पहचान स्पर्शन्मुख या हल्के लक्षण वाले मामलों को छूट जाती है, जिससे कम रिपोर्टिंग होती है।

- पर्यावरण निगरानी प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती है, क्योंकि संक्रमण में वृद्धि से अक्सर एक सप्ताह से अधिक पहले ही अपशिष्ट जल में रोगजनकों का स्तर बढ़ जाता है।

प्रारंभिक चेतावनियों का महत्व

- शीघ्र पता लगाना सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना और प्रकोप तैयारियों में सहायता करता है।
- खसरा, हैजा और पोलियो जैसी बीमारियों को ट्रैक करने के लिए 40 से अधिक वर्षों से अपशिष्ट जल-आधारित महामारी विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है।
- भारत में, अपशिष्ट जल निगरानी की शुरुआत सबसे पहले 2001 में मुंबई में पोलियो के लिए की गई थी।
- COVID-19 महामारी के दौरान, पांच शहरों में COVID-19 के लिए समान निगरानी कार्यक्रम शुरू किए गए थे और वे आज भी जारी हैं।

भारत की पहल

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) 50 शहरों में 10 वायरस के लिए अपशिष्ट जल निगरानी का विस्तार करने की योजना बना रही है।

- यह वायरल लोड में वृद्धि का पता लगाने और एवियन इन्फ्लुएंजा सहित प्रकोपों की निगरानी में मदद करेगा।
- चुनौतियों में निम्नलिखित की आवश्यकता शामिल है:
 - मानकीकृत डेटा और प्रोटोकॉल साझाकरण।
 - दिनचर्या रोग निगरानी के साथ एकीकृत पर्यावरण निगरानी की कार्यक्रमण दृष्टिकोण।
 - एक राष्ट्रीय अपशिष्ट जल निगरानी प्रणाली का विकास।
- मशीन लर्निंग का उपयोग करके खांसी के ऑडियो नमूनों के विश्लेषण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां पर्यावरण निगरानी के दायरे का विस्तार कर रही हैं।

HOW TO USE

प्राथमिक प्रारंभिकता: जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

यह सबसे सीधा और प्रासंगिक क्षेत्र है। यह विषय "आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता" और "विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों" के अंतर्गत आता है।

- विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव:

- **कैसे उपयोग करें:** यह सार्वजनिक लाभ वाले एक स्वदेशी तकनीकी अनुप्रयोग का एक आदर्श उदाहरण है।
- **नवीन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण:** अपशिष्ट जल निगरानी को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक "फोर्स मल्टीप्लायर" (प्रभाव विस्तारक) के रूप में प्रस्तुत करें। यह एक एकल नमूने से पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की निगरानी करने का एक लागत-प्रभावी तरीका है, जो व्यक्तिगत नैदानिक परीक्षण की सीमाओं को दूर करता है।
- **बायोटेक्नोलॉजी से संबंध:** नमूना लेना, जेनेटिक अनुक्रमण और डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी और बायोइंफॉर्मैटिक्स के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग हैं।
- **शासन के लिए डेटा:** प्रकोपों की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग (जैसा कि खांसी के ऑडियो नमूनों के लिए उल्लेख किया गया है) का उपयोग

शासन में एआई का एक परिष्कृत उपयोग है।

2. आपदा और आपदा प्रबंधन:

- **कैसे उपयोग करें:** महामारियाँ जैविक आपदा का एक रूप हैं। पर्यावरण निगरानी आपदा तैयारी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** यह मुख्य बिंदु कि रोगजनकों का स्तर "संक्रमण में वृद्धि से एक सप्ताह से अधिक पहले" अपशिष्ट जल में बढ़ जाता है, इसे सक्रिय आपदा प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। यह अधिकारियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अभिभूत होने से पहले ही परीक्षण, अस्पताल के बिस्तर और जन जागरूकता बढ़ाने की अनुमति देता है।

3. आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ:

- **कैसे उपयोग करें:** हालांकि यह प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा नहीं है, एक बड़े पैमाने की महामारी एक देश को अस्थिर कर सकती

है, जिससे यह गैर-पारंपरिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है।

- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** आबादी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना राज्य का एक मूल कार्य है। एक मजबूत निगरानी प्रणाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का हिस्सा है, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवधान को रोकती है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय)

ऐसी प्रणाली का कार्यान्वयन शासन की एक कसौटी है।

1. सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे:

- **कैसे उपयोग करें:** यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सीधा हस्तक्षेप है।
- **सरकारी पहल का मूल्यांकन:** ICMR की 50 शहरों में 10 वायरस के लिए निगरानी का विस्तार करने की योजना एक ठोस सरकारी पहल है जिसे आप एक सकारात्मक कदम के रूप में उद्धृत कर सकते हैं। फिर आप संबंध

शासन चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं: मानकीकृत प्रोटोकॉल, अंतर-एजेंसी समन्वय और डेटा साझाकरण की आवश्यकता।

- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल:** यह उपचारात्मक से निवारक और भविष्य कहने वाली स्वास्थ्य देखभाल मॉडल में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिक कुशल और टिकाऊ है।

“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”